संख्या-5/2022/जी-2-194/दस-2022-1/2016

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2022**

विषय:- एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016, शासनादेश संख्या-5/2016/जी-2-91/दस-2016-1/2016, दिनांक 16 अगस्त, 2016 एवं शासनादेश संख्या-7/2020/जी-2-51(1)/दस-2020-1/2016, दिनांक 11 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनसे एक सरकारी सेवा से दूसरी सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण हेतु आवश्यक शर्तों एवं प्रतिबंधों को स्पष्ट किया गया है तथा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गयी है। शासनादेश दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में लागू वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यह कहा गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व पद के संदर्भ में समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए०सी०पी०) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उसके वेतन निर्धारण का प्रकरण इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होगा तथा ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

2- उपर्युक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत यह उचित पाया गया है कि उन सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाय जिन्होंने अपने पूर्व पद के संदर्भ में सीधे पहला, दूसरा या तीसरा ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त किया हो और यह लाभ पूर्व की समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के लाभ के क्रम में न प्राप्त किया हो एवं जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 या उसके बाद की किसी तिथि को एक शासकीय सेवा से अवमुक्त होकर बिना सेवा व्यवधान के दूसरी शासकीय सेवा के पद पर अपना योगदान दिया हो तथा जो उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31 मई, 2016 के शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नये पद पर पूर्व पद के संदर्भ में प्राप्त मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण का लाभ पाने के हकदार हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

(1) यदि संबंधित सरकारी सेवक की नयी नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है जिसका साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) वही है जो उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद का साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) था तो नये विभाग में उसका मूल वेतन उसे पूर्व विभाग के पद के संदर्भ में ए०सी०पी० के रूप में अनुमन्य पे मैट्रिक्स लेवल में ही उसी कोष्ठिका की धनराशि का होगा जिस कोष्ठिका की धनराशि उसके द्वारा पूर्व विभाग में ए०सी०पी० के लाभ अनुमन्य होने के कारण संबंधित पे मैट्रिक्स लेवल में आहरित की गयी थी। ऐसे सरकारी सेवक को नये पद पर ए०सी०पी० का लाभ भी पूर्व में प्राप्त ए०सी०पी० के क्रम में ही देय होगा तथा उसकी पूर्व पद के वेतन वृद्धि की तिथि अपिरवर्तित रहेगी किन्तु नये पद पर ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(9) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि संबंधित सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है जिसका साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) से उच्च है तो नये पद पर उसका मूल वेतन उसके नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उस कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा जिसकी धनराशि पूर्व विभाग में उसे प्राप्त ए०सी०पी० के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य हो तथा यदि उसके नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में इस प्रकार की कोई कोष्ठिका उपलब्ध नहीं है तो नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उसके द्वारा पूर्व विभाग में उसे प्राप्त ए०सी०पी० के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन की धनराशि से ठीक पश्चातवर्ती कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा। नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उक्तवत निर्धारित मूल वेतन किसी भी दशा में नये पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल की प्रथम कोष्ठिका की धनराशि से कम तथा अन्तिम कोष्ठिका की धनराशि से अधिक में निर्धारित नहीं किया जायेगा। वेतन निर्धारण के उपरांत नये पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल में अगली वेतनवृद्धि की तिथि का निर्धारण नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के नियमों के अनुसार शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 के अनुसार किया जायेगा और ए०सी०पी० का लाभ नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) के संदर्भ में नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नये सिरे से देय होगा जिसमें पूर्व पद की सेवा नहीं जोड़ी जायेगी।

(3) यदि संबंधित सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है जिसका साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) से निम्न है तो नये पद पर उसका मूल वेतन उसके नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उस कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिसकी धनराशि पूर्व विभाग में उसे प्राप्त ए०सी०पी० के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य हो तथा यदि उसके नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में इस प्रकार की कोई कोष्ठिका उपलब्ध नहीं है तो नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उसके द्वारा पूर्व विभाग में उसे प्राप्त ए०सी०पी० के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन की धनराशि से ठीक पूर्ववर्ती कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान की जायेगी जो अगली वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियों में समायोजित की जायेगी। नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) में उक्तवत निर्धारित मूल वेतन किसी भी दशा में नये पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल की प्रथम कोष्ठिका की धनराशि से कम तथा अन्तिम कोष्ठिका की धनराशि से अधिक में निर्धारित नहीं किया जायेगा। वेतन निर्धारण के उपरांत नये पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल में अगली वेतनवृद्धि की तिथि का निर्धारण नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के नियमों के अनुसार शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 के अनुसार किया जायेगा और ए०सी०पी० का लाभ नये पद के साधारण वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) के संदर्भ में नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नये सिरे से देय होगा जिसमें पूर्व पद की सेवा नहीं जोड़ी जायेगी।

4- वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण विषयक शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही उक्तवत वेतन निर्धारण अनुमन्य होगा।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2022/जी-2-194(1)/दस-2022-1/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in